प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 173 बी.एन.एस.एस. 2023)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2025
प्र0ई0रि0सं0..........11........./2025 दिनांक 22.01.2025
(I)धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988, धारा 120 बी आईपीसी एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस. 2023
(II) अधिनियम..धाराऐं ....
(III) अधिनियम..धाराऐं..................................
(IV)अन्य अधिनियम एवं धाराऐं..
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.........373..............समय.......12:30PM
(ब) अपराध घटने का दिन.........................दिनांक........................समय......
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक.................................समय......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
(ब) पता – ....
....बीट संख्या.............................जरायमदेही सं.
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.........
पुलिस थाना..जिला.................................
5. परिवादी / सूचनाकर्ता :–सूत्र सूचना
(अ) नाम –
(ब) पिता / पति का नाम
(स) जन्म तिथि / वर्ष...
(द) राष्ट्रीयता..
(य) पासपोर्ट संख्या.. जारी होने की तिथि..........
जारी होने की जगह..
(र) व्यवसाय..
(ल) पता –
6. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :-
1. श्री संजय शर्मा पुत्र श्री हेतराम जाति ब्राहम्ण निवासी मकान न 01, कृष्णा नगर, वैशाली नगर थाना के पीछे, जयपुर हाल अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, विद्याधर नगर जयपुर।
2. श्रीमती नीलम शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा निवासी मकान न 01, कृष्णा नगर, वैशाली नगर थाना के पीछे, जयपुर व अन्य।

7. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. 'पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) : -

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री संजय शर्मा अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, विद्याधर नगर जयपुर ने राजकीय सेवा में रहते हुए स्वयं व परिजनों के नाम वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित कर रखी है। सुचना का सत्यापन किया गया तो संदिग्ध अधिकारी के पिता श्री हेतराम शर्मा, जो मूल निवासी गावं चिडिया भवन, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, संदिग्ध अधिकारी का पैतृक मकान कप्तान कॉलोनी, पुलिस लाईन के पास भरतपुर होना ज्ञात हुआ है तथा संदिग्ध अधिकारी वर्तमान में निवासी मकान न 01, कृष्णा नगर, वैशाली नगर थाना के पीछे, जयपुर में परिवार सहित निवास कर रहा है। संदिग्ध अधिकारी का भाई

श्री अजय शर्मा जो पेशे से टुरिष्ट गाईड का कार्य करता है, एसओ के साथ मकान न 1, कृष्णा नगर वैशाली नगर थाने के पीछे जयपुर में निवास करता है। संदिग्ध अधिकारी परिवहन विभाग में वर्ष 1992 में उप निरीक्षक परिवहन के पद पर भर्ती हुआ, सदिग्ध अधिकारी की पत्नी का नाम श्रीमती नीलम शर्मा है, जो गृहणी है तथा इनके दो पुत्री व एक पुत्र है, बडी पुत्री का नाम दीपीका शर्मा तथा छोटी पुत्री का नाम आयुषी शर्मा व पुत्र का नाम मानव शर्मा है। पुत्री दीपीका शर्मा की प्रारम्भिक शिक्षा सिंधीया स्कुल ग्वालियर मध्यप्रदेश में तथा उच्च शिक्षा लंदन युनाईटेड किंगडम में हुई है। सुश्री आयुषि की प्रारम्भिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कुल जयपुर में तथा एम.बी.बी.एस की पढाई कजाकिस्तान रूस से हुई एवं पुत्र श्री मानव शर्मा की प्रारम्भिक पढाई दिल्ली पब्लिक स्कुल में तथा इंजीनियरिंग की पढाई कालेरॉडो अमेरिका में हुई है। इस प्रकार एसओ ने अपने बच्चो की पढाई में अपने पद की हैसियत से बढकर पैसा खर्च किया जाना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी साधारण परिवार से संबंध रखता है जो कि परिवहन विभाग में नियुक्त होने के पश्चात अवैधानिक भ्रष्ट तरीके से जयपुर व अन्य शहरों में काफी चल व अचल बैनामी सम्पति बना रखी है। जिसकी आम छवि काफी संदिग्ध है। एसओ की पत्नी श्रीमती नीलम शर्मा एक साधारण गृहिणी है तथा अपनी आईटीआर में टयूशन फीस से आय, रिश्तेदारो से भारी मात्रा में उपहार में राशि प्राप्त करना उल्लेखित कर रखा है। इसके अतिरिक्त एसओ की पत्नी ने आईटीआर में रामघाट रोड, अलीगढ उत्तर प्रदेश में दुकानो से किराये की आय दर्शा रखी है, जिससे यह प्रतीत होता है कि एसओ ने अपनी भ्रष्ट तरीके से प्राप्त राशि को भरतपुर राजस्थान, हाथरस, अलीगढ उत्तर प्रदेश आदि जगह चल व अचल बेनाम परिसम्पतिया बना रखी है।

विभागीय नियमों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के निकटतम परिवारजनों यथा पत्नी, माता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से कोई परिसम्पति क्रय करता है तो उसकी सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष को देनी होती है व राज्य के समस्त राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पति का विवरण ऑनलाईन राजकाज सॉफ्टवेयर पर अपलॉड करना होता है, जो संदिग्ध अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा आचरण नियमों के विरूद्ध ऐसा कार्य किया जा रहा है। उक्त कृत्य सदिग्ध अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार से अर्जित धन का दुरुपयोग का सटीक उदाहरण है।

एसओ की पत्नी के बैंक खातो में प्रतिमाह 40,000 रूपये के.सी. मंगलम बिल्डमार्ट से प्राप्त हो रहे है। इससे यह प्रतीत होता है कि एसओ को के.सी. मंगलम बिल्डमार्ट में अनुमानित एक करोड का निवेश करने पर 40,000 रूपये के लगभग प्रतिमाह ब्याज प्राप्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त बैंक खातो में 60–70 हजार नगद रूपये बहुत बार जमा हुये है।

एसओ द्वारा अपनी आईटीआर में शिक्षा लोन पर छूट लेना दर्शा रखा है, उक्त शिक्षा लोन एसओ के पुत्र मानव के बैंक खाता में प्राप्त हुआ, मानव के बैंक खाता में एसओ व अन्य व्यक्तियों के द्वारा निरन्तर रूप से नगद राशि जमा करवाई जा रही है तथा एसओ के पुत्र मानव शर्मा की शिक्षा पर लिया गया लोन अन्य व्यक्तियों के द्वारा जमा करवाया जा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा शिक्षा लोन केवल दिखावा मात्र के लिए लिया गया है तथा संदिग्ध अधिकारी के परिचितो अन्य व्यक्तियों द्वारा लोन को जमा करवाना संदिग्ध अधिकारी के भ्रष्ट आचरण को प्रकट करता है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एसओ ने भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गई अवैध कमाई को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की FIRST NATIONAL BANK 2250 WELIZABETH, APT-914 FORT COLLINS CO-80521 के खाता संख्या 32749585 में करोडो रूपये जमा करावे गये है, जो कि विविध व्यक्ति को नगद राशि देकर उनके मार्फत उनके बैंक खातो से अवैध राशि जमा करवाई गई।

एसओ का निवास स्थान मकान न 1, कृष्णा नगर वैशाली नगर थाने के पीछे जयपुर क्षेत्रफल 449.50 वर्गगज है जो बेनाम तौर से अपनी माता श्रीमती पवित्रा देवी शर्मा के नाम से है तथा वर्ष 2001 में जेडीए से आंवटन पत्र जारी होना पाया गया है। उक्त प्लॉट में पूरे में आलीशान निर्माण होना पाया गया है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सुश्री दिपीका शर्मा द्वारा 04.02.2014 से दिनांक 06.12.2023 तक कई विदेश यात्राये लंदन, बैंकॉक, अलमाईटी कजाकिस्तान आदि देशो में की है। सुश्री आयुषि द्वारा दिनांक 20.08.2018 से दिनांक 06.12.2023 तक कई विदेश यात्राये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्थान,

अस्गाबात, दुबई, मस्कट आदि देशो में की है। श्री मानव शर्मा ने दिनांक 23.11.2016 से दिनांक 06.12.2023 तक कई विदेश यात्राये लंदन, टोकियो जापान एवं म्युनिख आदि देशो में करना पाया है जिसमें आने जाने व अन्य में भारी मात्रा में लाखो रूपये की राशि व्यय हुई है।

सूत्र सूचना के सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि एसओ की पत्नी के एसबीआई बैंक में स्थित खाता संख्या 020072579800 के अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त खाता मे वर्ष 2017 से प्रतिमाह एसओ द्वारा भ्रष्ट तथा अवैध तरीके से अपनी वैध आमदनी से ज्यादा नगद राशि प्राप्त की जाकर स्वयं की पत्नी के बैंक खाता में जमा करवाई गई है तथा अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी नगद राशि जमा करवाई जा रही है। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों से चैक के द्वारा भी अधिक मात्रा में राशि जमा हो रही है। जिसमें वर्ष 2017 में ही लगभग 48 लाख रूपये प्राप्त हुऐ है।

सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि एसओ की मॉ व भाई के नाम से एक लॉकर खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा गौतम मार्ग आम्रपाली सर्किल जयपुर में है। जिसका लॉकर नम्बर 260 है। इसके अलावा एसओ ने एक अन्य लॉकर स्वयं व श्री सुधीर के नाम से एसबीआई बैंक खाता संख्या 031173784372 शाखा चंदौसी हाथरस, अलीगढ उत्तर–प्रदेश में जुडा है तथा उक्त बैंक खाते में संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल नम्बर जुडा होना ज्ञात हुआ है।

एसओ के पास एक होण्डा एक्टिवा व एक शिफ्ट डिजायर कार आरजे 14 सीजेड 9901 है। आरोपी के पास बैनाम सम्पति पार्थ सिटी कालवाड रोड जयपुर, भरतपुर, राजस्थान व हाथरस, मुरादाबाद यू.पी., भी होना सामने आया है जिसके बारे में अनुसंधान से स्पष्ट किया जा सकता है। एसओ के द्वारा एलआईसी, आईसीआईसीआई इंश्योरेन्श, रिलायन्स इंश्योरेन्श अन्य में भी निवेश किया जाना ज्ञात हुआ है।

गोपनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी की भांजी श्रीमती नेहा शर्मा पत्नी जगदीश केर जो वर्तमान में फ्लैट नम्बर 501, पांचवी मजिल, प्लॉट नम्बर ए 97, रूबी पार्क रिज अपार्टमेंट, श्याम नगर जयपुर में निवास कर रही है इसके अतिरिक्त नेहा शर्मा का अन्य निवास स्थान मकान नम्बर 43 एस–2, श्री राधे अपार्टमेंट हरि मार्ग कृष्णा नगर जयपुर भी होना ज्ञात हुआ है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी अपनी बहन व भांजी नेहा शर्मा के नाम संदिग्ध अधिकारी ने पूर्व में परिसम्पत्तियां अर्जित की थी, इसी कम में संदिग्ध अधिकारी ने अपनी भांजी श्रीमती नेहा शर्मा के नाम वर्ष 2011 में प्लॉट नम्बर 58, मॉ करणी नगर, पांच्यावाला जयपुर खरीद कर वर्ष 2024 में अपनी पत्नी श्रीमती नीलम शर्मा के नाम उक्त परिसम्पत्ति अंतरित करना भी ज्ञात हुआ है। अतः श्रीमती नेहा शर्मा के निवास स्थान तलाशी में संदिग्ध अधिकारी द्वारा अन्य बेनामी सम्पत्तियां रखने की सम्भावना है।

सूत्रों से यह ज्ञात हुआ कि एसओ द्वारा एफ–22 गौतम मार्ग सेक्टर 6 वैशाली नगर जयपुर स्थित एस.के.जे.ज्वैलर्स (संचालक श्री संजय जोशी) में 2 किलो सोना व 01 किलो चांदी का निवेश कर रखा है। अतः एफ–22 गौतम मार्ग सेक्टर 6 वैशाली नगर जयपुर स्थित एस.के.जे.ज्वैलर्स की तलाशी में संदिग्ध अधिकारी के 2 किलो सोना व 01 किलो चांदी के निवेश से संबंधित दस्तावेज मिलने की सम्भावना है।

सूत्रों से यह ज्ञात हुआ कि बिन्दायका में 500 वर्गगज का प्लॉट श्री श्यामलाल शर्मा निवासी मकान नम्बर 108 लक्ष्मी कॉलोनी सांगोनर जयपुर के नाम से कय किया गया है तथा एसओ ने श्री श्यामलाल शर्मा की पत्नी के नाम से बैंक लॉकर में सोने चांदी के आभूषण एवं सम्पत्तियों के दस्तावेज रखे हुऐ है। अतः श्री श्यामलाल शर्मा के निवास स्थान मकान नम्बर 108 लक्ष्मी कॉलोनी सांगोनर जयपुर की तलाशी में संदिग्ध अधिकारी से संबंधित लॉकर, संदिग्ध अधिकारी के बहुमूल्य आभूषण व सम्पत्तियों के दस्तावेज मिलने की सम्भावना है।

सूत्रों से यह ज्ञात हुआ कि पार्थ सिटी कालवाड रोड जयपुर में 1000 वर्गगज का प्लॉट व नारायण विहार मानसरोवर जयपुर में 1000 वर्गगज का प्लॉट श्री अजय शर्मा के नाम से व मुन्नी शर्मा के नाम से 500 वर्गगज का कॉर्नर प्लॉट हाथरस उत्तर प्रदेश में कय किया गया है। श्री अजय शर्मा संदिग्ध अधिकारी का छोटा भाई होकर संदिग्ध अधिकारी के निवास स्थान मकान नम्बर 1 कृष्णा नगर वैशाली नगर थाने के पीछे जयपुर के एक भाग में निवास करता है। अतः मकान नम्बर

1 कृष्णा नगर वैशाली नगर थाने के पीछे जयपुर में श्री अजय शर्मा द्वारा निवासरत एवं कब्जेशुदा भाग की तलाशी में संदिग्ध अधिकारी से संबंधित लॉकर, संदिग्ध अधिकारी के बहुमुल्य आभूषण व सम्पत्तियों के दस्तावेज मिलने की सम्भावना है।

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा निवासी मकान नम्बर 50 सेक्टर 1 विद्याधर नगर जयपुर संदिग्ध अधिकारी का नजदीकी रिश्तेदार है तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा भ्रष्ट तरीके से अर्जित धन को विभिन्न स्थानों पर निवेश करवाने का कार्य श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा किया जा रहा है। श्री श्याम सुन्दर शर्मा के निवास स्थान मकान नम्बर 50 सेक्टर 1 विद्याधर नगर जयपुर की तलाशी में संदिग्ध अधिकारी से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण व किमती दस्तावेज मिलने की सम्भावना है।

संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय कक्ष अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर में संदिग्ध अधिकारी से संबंधित बहुमुल्य दस्तावेज, नगदी मिलने की सम्भावना है।

गोपनीय सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर व श्रीमती नीलम शर्मा व अन्य के नाम व बेनामी विभिन्न परिसम्पतियॉ मे निवेश/खरीद करना सत्यापन से ज्ञात हुआ है, संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों, आय एवं व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र ''अ'' ''ब''''स''''द'' निम्नानुसार है :-

परिशिष्ट ''अ''

संदिग्ध अधिकारी श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर व उनकी पत्नी नीलम शर्मा की चैक पिरियड सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां:-

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	शून्य	---

परिशिष्ट ''ब''

संदिग्ध अधिकारी श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर व उनकी पत्नी नीलम शर्मा की सेवाकाल चैक पिरियड सेवा चैक पीरियड वर्ष 1992 से खाना तलाशी की दिनांक तक अर्जित परिसम्पत्तियां:-

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1.	मकान न 1, कृष्णा नगर, वैशाली नगर जयपुर, क्षेत्रफल 449.50 वर्गगज है, एसओ की माता के नाम से है उक्त प्लॉट का आंवटन पत्र जेडीए से वर्ष 2001 में जारी होना ज्ञात हुआ है। वर्ष 2001 में उक्त जगह की डीएलसी रेट 1300 रूपये प्रति वर्गगज थी, इस हिसाब से भूखण्ड का मूल्यांकन राशि 585000 रूपये तथा भूखण्ड पर जेडीए से आंवटन पत्र जारी होने मे अनुमानित खर्च राशि 120000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 7,05,000 रूपये व्यय करने में सम्पति अर्जित करने का अनुमान है।	7,05,000/-- रूपये
2.	मकान न 1, कृष्णा नगर, वैशाली नगर जयपुर, क्षेत्रफल 449.50 वर्गगज है, जिसके निर्माण में अनुमानित लागत 50,000,00 रूपये व्यय करने में सम्पति अर्जित करने का अनुमान है।	50,000,00/--रूपये
3.	दिनांक 20.02.2024 को एसओ ने अपनी पत्नी के नाम से प्लॉट नम्बर 58 मा करणी नगर सिरसी रोड पांच्यावाला जयपुर में क्षेत्रफल 444.44 वर्गगज का 28,50,000 रूपये में क्रय करना व रजिस्ट्री के पंजीयन में राशि 1,45,000 रूपये खर्च किये, इस प्रकार कुल राशि 29,95,000 रूपये एसओ की सम्पति में माना जाना उचित होगा।	29,95,000/--रूपये
4.	एसओ की पत्नी के नाम एक दुकान कम गोदाम रामघाट रोड,	15,00,000/--रूपये

	अलीगढ उत्तर प्रदेश में स्थित है, उक्त दुकान की अनुमानित राशि 15,00,000 रूपये व्यय करने से सम्पति में माना जाना उचित है।	
5.	एसओ की पत्नी नीलम शर्मा के बैंक खातो का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रतिमाह 40,000 रूपये के.सी. मंगलम बिल्डमार्ट से प्राप्त हो रहे है, समय समय पर अखबार में बिल्डरो द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है कि एक करोड का निवेश करने पर 40,000 रूपये के लगभग प्रतिमाह ब्याज प्राप्त करो। इस हिसाब से एसओ ने अनुमानित 1 करोड रूपये की राशि के.सी. बिल्डमार्ट में व्यय करने मे सम्पति अर्जित करने का अनुमान है।	1,00,00,000 /—रूपये
6.	एसओ के पास एक होण्डा एक्टिवा स्कुटी होना पाया गया है उक्त स्कुटी की अनुमानित राशि 80,000 रूपये व्यय कर सम्पति अर्जित करने का अनुमान है।	80,000 /—रूपये
7.	एसओ के पास एक शिफ्ट डिजायर वर्ष 2010 नम्बर आरजे 14 सीजेड 9901 है। जिसकी अनुमानित राशि 9,00,000 रूपये तथा पंजीयन व एवं अन्य शुल्क राशि 25000 रूपये इस प्रकार कुल अनुमानित राशि 9,25,000 रूपये व्यय कर सम्पति अर्जित करने का अनुमान है।	9,25,000 /—रूपये
8.	एसओ के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 051065015026 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में शेष राशि 4,65,972 /— होना अनुमानित है।	4,65,972 /—रूपये
9.	एसओ के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 010535957933 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में शेष राशि 57,802 /— होना अनुमानित है।	57,802 /—रूपये
10.	एसओ की पत्नी श्रीमती नीलम के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 020072579800 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में शेष राशि 74,269 /— होना अनुमानित है।	74,269 /—रूपये
11.	एसओ की पत्नी श्रीमती नीलम के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 031712669712 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में शेष राशि 59,666 /— होना अनुमानित है।	59,666 /—रूपये
12.	एसओ के रिश्तेदार श्री सुधीर शर्मा के नाम एसबीआई बैंक में स्थित खाता संख्या 031173784372 है, उक्त बैंक खाता में एसओ के मोबाईल नम्बर अंकित है जिसमें शेष राशि 185 होना अनुमानित है।	185 /—रूपये
13.	एसओ की पत्नी श्रीमती नीलम के नाम एचडीएफसी बैंक में खाता संख्या 05541930006184 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में शेष राशि 361,17 /— होना अनुमानित है।	36,117 /—रूपये
14.	एसओ की पुत्री दिपीका शर्मा के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 51104904056 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में शेष राशि 15,046 /— होना अनुमानित है।	15,046 /—रूपये
15.	एसओ की पुत्री आयुषी शर्मा के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 36243876188 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में शेष राशि 58,862 /— होना अनुमानित है।	58,862 /—रूपये
16.	एसओ की पुत्री आयुषी शर्मा के नाम इंडस बैंक में खाता संख्या	23,525 /—रूपये

	100032062628 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में शेष राशि 23,525/– होना अनुमानित है।	
17.	एसओ की पुत्र मानव शर्मा के नाम पंजाब नेशनल बैंक में खाता संख्या 1586000100242346 होना ज्ञात हुआ है। उक्त बैंक खाते में शेष राशि 84,151/– होना अनुमानित है।	84,151/– रूपये
18.	एसओ की पत्नी श्रीमती नीलम शर्मा के नाम से शेयर बाजार में अनुमानित 13,52,000 रूपये निवेश करना पाया गया है, उक्त राशि एसओ की सम्पति में माना जाना उचित होगा।	13,52,000/– रूपये
	कुल योग	2,34,32,595/– रूपये

परिशिष्ट ''स''

संदिग्ध अधिकारी श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर व उनकी पत्नी नीलम शर्मा की सेवाकाल चैक पिरियड सेवा चैक पीरियड वर्ष 1992 से खाना तलाशी की दिनांक तक प्राप्त कुल आयः–

क्र सं.	चैक अवधि में अर्जित आय का विवरण	आय
1.	एसओ श्री संजय शर्मा की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1992 में उप निरीक्षक के पद पर हुई। एसओ की वर्ष 1992 से 2010 तक की आईटीआर प्राप्त नहीं होने पर अनुमानित सैलरी 18,66,000.रूपये प्राप्त हुई है उक्त अवधि की आय इनकम टैक्स रहित है तथा वर्ष 2011–2023 तक प्राप्त आईटीआर के अनुसार कुल सकल आय 1,05,66,480 है तथा इन्कम टैक्स राशि 2,44,895 रूपये व अन्य कटौतिया कम करने पर लगभग 96,70,500 रूपये है तथा माह जनवरी 2023 से माह दिसम्बर 2024 तक बैंक खाता में प्राप्त लगभग शुद्व सैलरी 14,91,686/– रूपये, इस प्रकार एसओ की कुल शुद्व आय 1,30,28,186/– रूपए होना अनुमानित है।	1,30,28,186/– रूपये
2.	एसओ द्वारा बेटे मानव शर्मा की पढाई के लिये पीएनबी बैंक से लिया गया शिक्षा ऋण 60,00,000/–	60,00,000/– रूपये
3.	एसओ की पत्नी द्वारा अपनी आईटीआर वर्ष 2007–2008 से 2023–2024 टयूशन व किराया से आय 55,53834 दर्शा रखी है जबकि सत्यापन के दौरान एसओ की पत्नी द्वारा टयूशन पढाना सामाने नहीं आया है। एसओ द्वारा अपनी भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गई कमाई को टयूशन में दर्शाया जा रहा है इसलिये उक्त आय को एसओ की आय में नहीं माना जा सकता है।	0/–रूपये
4.	एसओ ने मंगलम बिल्डकॉम में अनुमानित 01 करोड रूपये की राशि निवेश कर रखी है, उक्त राशि के ब्याज के तौर पर एसओ की पत्नी नीलम शर्मा के एसबीआई बैंक खाता संख्या 20072579800 में दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 31.12.2024 तक लगभग 40,000 रूपये प्रतिमाह प्राप्त हो रहे है। उक्त राशि 9,60,000/– रूपये प्राप्त होने से एसओ की आय में माना जाना उचित होगा।	9,60,000/–
	कुल योग	1,99,88,186/– रूपये

परिशिष्ट ''द''

संदिग्ध अधिकारी श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, विद्याधर नगर जयपुर व उनकी पत्नी नीलम शर्मा की सेवाकाल चैक पीरियड वर्ष 1992 से खाना तलाशी की दिनांक तक किये गये व्यय का विवरण :–

कं सं.	चैक अवधि में किये गये व्यय का विवरण	व्यय राशि
1	एसओ श्री संजय शर्मा की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1992 में उप निरीक्षक के पद पर हुई। एसओ की वर्ष 1992 से 2010 तक की आईटीआर उपलब्ध नहीं होने पर वर्ष 2011 की स सैलरी से हर वर्ष 10 प्रतिशत कम कर अनुमानित सैलरी 18,66,000. रूपये प्राप्त हुई है। वर्ष 2011–2023 तक की बैंक प्राप्त आईटीआर के अनुसार कुल सकल आय 1,05,66,480 है। तथा माह जनवरी 2023 से माह दिसम्बर 2024 तक बैंक खाता के अनुसार शुद्व सैलरी 15,70,800 रूपये होना प्रकट हुआ है, इस प्रकार एसओ की कुल सकल आय 1,40,03,280 रूपए होना पायी गयी है। जिसमें रसोई खर्च कुल आय का 1/3 राशि 46,67,760 रूपये असत्यापनीय व्यय के रूप में खर्च करने का अनुमान है।	46,67,760/रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी व परिजनों द्वारा चैक अवधि में काम में लिये गये दुपहिया व चौपहिया वाहनों को काम में लेने में प्रयुक्त ईंधन, बीमा, मेंन्टेनेन्स व अन्य खर्च के रूप में 7,90,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	7,90,000/रूपये
3	एसओ की बडी बेटी दीपिका शर्मा का सिधिंया स्कूल ग्वालियर मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा एवं उच्च अध्ययन के लिये लंदन में अनुमानित व्यय 80,00,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है। (सिंधिया स्कूल में प्रतिवर्ष 9,00,000 रूपये के हिसाब से 7 वर्षो की कुल 63,00,000 तथा लंदन में उच्च अध्ययन हेतु अनुमानित व्यय 40,00,000 रूपये। इस प्रकार एसओ की बडी बेटी दीपिका शर्मा के अध्ययन पर अनुमानित व्यय 1,03,00,000/रूपये)	10300000/रूपये
4	एसओ की छोटी बेटी आयुषी शर्मा डी.पी.एस. स्कूल जयपुर में स्कूल शिक्षा एवं कजाकिस्तान से एमबीबीएस की पढाई में अनुमानित व्यय 75,00,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है। (डीपीएस स्कूल में प्रतिवर्ष 2,00,000 रूपये के हिसाब से 12 वर्ष कुल 24,00,000 तथा कजाकिस्तान में एमबीबीएस अध्ययन हेतु अनुमानित व्यय 50,00,000 रूपये। इस प्रकार एसओ की छोटी बेटी आयुषी शर्मा के अध्ययन पर अनुमानित कुल व्यय 74,00,000/रूपये)	74,00,000/रूपये
5	एसओ का बेटा मानव शर्मा जो कि वर्तमान में कोलेरेडो अमेरिका का पीएचडी कर रहा है। जिसने अपनी स्कूली शिक्षा डीपीएस स्कूल जयपुर में अध्ययन के अनुमानित व्यय 2400000 रूपये उसके उपरान्त इंजिनयरिंग अमेरिका से की। उक्त अध्ययन में एसओ द्वारा पीएनबी बैंक से 60,00,000/– रूपयों का शिक्षा लोन लिया गया जिसको अल्प समय में एसओं ने अघोषित आय से 58,00,000/– रूपयों का भुगतान कर दिया। एसओ के बेटे के अध्ययन में शिक्षा लोन के अतिरिक्त 50,00,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	50,00,000 + 58,00,000 + 2400000 कुल 1,32,00,000 /–रूपये
6	एसओ के पुत्र व पुत्रीयो की विदेश यात्राओ में अनुमानित खर्च 20,00,000 रूपये होने से एसओ के व्यय करने का अनुमान है।	20,00,000/–रूपये
7	एसओ की पत्नी श्रीमती नीलम शर्मा के नाम एसबीआई बैंक में एक लॉकर होना ज्ञात हुआ है जिसका किराया प्रतिवर्ष 1770 रूपये है। इस हिसाब से वर्ष 2011 से 2023 तक कुल व्यय 23,010 व्यय करने का अनुमान है।	23010/–रूपये
	कुल योग	3,83,80,770/रूपये

संदिग्ध अधिकारी श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर व उनकी पत्नी नीलम शर्मा की सेवाकाल चैक पीरियड राजकीय सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पितियों का शून्य होना ज्ञात हुआ है जो परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

संदिग्ध अधिकारी श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर व उनकी पत्नी नीलम शर्मा की सेवाकाल चैक पीरियड वर्ष 1992 से खाना तलाशी की दिनांक तक अर्जित परिसम्पितियों का मूल्य 2,34,32,595/—रूपये होना अनुमानित है, जो परिशिष्ट "ब' में संलग्न है।

संदिग्ध अधिकारी श्री संजय शर्मा अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1992 से खाना तलाशी की दिनांक तक वेतन एवं भत्ते आयकर एवं अन्य कटौती के पश्चात शुद्व शेष आय आदि से लगभग 1,30,28,186/—रूपये प्राप्त हुई व एसओ की पत्नी नीलम के नाम दुकान कम गोदाम से किराया राशि 9,60,000/—रूपये प्राप्त हुई तथा एसओ द्वारा बेटे मानव शर्मा की पढाई के लिये पीएनबी बैंक से शिक्षा ऋण 60,00,000/— लेना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार कुल आय 1,99,88,186/— रूपये जो परिशिष्ट "स" मे दर्शाई गई है एवं इनकी पत्नी श्रीमती नीलम शर्मा एक गृहिणी महिला है जिनकी आय शून्य है। संदिग्ध अधिकारी श्री संजय शर्मा अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर की प्रपत्र "स" के अनुसार कुल वैध आय 1,99,88,186/—रूपये होने का अनुमान है।

संदिग्ध अधिकारी श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर व उनकी पत्नी नीलम शर्मा द्वारा अपनी सेवाकाल चैक पीरियड वर्ष 1992 से खाना तलाशी की दिनांक तक किये गये कुल व्यय का उल्लेख जो परिशिष्ट "द" मे दर्शाई गई है, जिसके अनुसार राशि कुल 3,83,80,770/—रूपये होने का अनुमान है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री संजय शर्मा पुत्र श्री हेतराम जाति ब्राहम्ण निवासी मकान न 01, कृष्णा नगर, वैशाली नगर थाना के पीछे, जयपुर हाल अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर व श्रीमती नीलम शर्मा पुत्र श्री संजय शर्मा निवासी मकान न 01, कृष्णा नगर, वैशाली नगर थाना के पीछे, जयपुर की चैक पिरियड वर्ष 1992 से खाना तलाशी की दिनांक तक के ज्ञात स्त्रोतों से प्राप्त आय 1,99,88,186/— रूपये होकर, अर्जित सम्पति का मूल्य 2,34,32,595/— रूपये एवं व्यय राशि 3,83,80,770/रूपये पाई गई है। अतः अर्जित सम्पति तथा व्यय राशि का जोड़ 61,813,365/रूपये में से उपरोक्त आय 1,99,88,186 /रूपये को घटाने पर 41,825,179/रूपये की परिसम्पतियां वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो वैधानिक आय के बदले लगभग 209 प्रतिशत अधिक है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी से संबंधित निम्न ठिकानों (1) संदिग्ध अधिकारी का निवास स्थान मकान न 1, कृष्णा नगर, वैशाली नगर जयपुर (2) संदिग्ध अधिकारी का कार्यालय अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर (3) संदिग्ध अधिकारी की भांजी श्रीमती नेहा शर्मा का निवास स्थान फ्लैट नम्बर 501, पांचवी मजिल, प्लॉट नम्बर ए 97, रूबी पार्क रिज अपार्टमेंट, श्याम नगर जयपुर (4) संदिग्ध अधिकारी की भांजी श्रीमती नेहा शर्मा का निवास स्थान मकान नम्बर 43 एस—2, श्री राधे अपार्टमेंट हरि मार्ग कृष्णा नगर जयपुर (5) संदिग्ध अधिकारी का पैतृक निवास स्थान—कप्तान कॉलोनी, पुलिस लाईन के पास भरतपुर (6) संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती नीलम शर्मा के नाम प्लॉट नम्बर 58, मॉ करणी नगर, पांच्यावाला जयपुर (7) संदिग्ध अधिकारी के चचेरा भाई श्री सुधीर शर्मा पुत्र श्री देवकीचन्द का निवास स्थान—म0न0 113 चिड़िया भवन बिलारी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश (8) संदिग्ध अधिकारी का नजदीकी रिश्तेदार श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा का निवास स्थान मकान नम्बर 50 सेक्टर 1 विद्याधर नगर जयपुर (9) संदिग्ध अधिकारी का घनिष्ठ मित्र श्री संजय जोशी संचालक एस.के.जे.ज्वैलर्स का पता— दुकान एफ—22 गौतम मार्ग सेक्टर 6 वैशाली नगर जयपुर, (10) संदिग्ध अधिकारी का नजदीकी रिश्तेदार श्री श्यामलाल शर्मा का निवास स्थान मकान नम्बर 108 लक्ष्मी कॉलोनी सांगोनर जयपुर व अन्य की यदि तलाशी ली जाती है तो कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण, विदेश बैंक खातों के दस्तावेज, विदेश यात्राओं के दस्तावेज,

बेनामी परिसम्पत्तियों के दस्तावेज एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सम्भावना है।

अतः संदिग्ध अधिकारी श्री संजय शर्मा पुत्र श्री हेतराम जाति ब्राहम्ण निवासी मकान न 01, कृष्णा नगर, वैशाली नगर थाना के पीछे, जयपुर हाल अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर व श्रीमती नीलम शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा निवासी मकान न 01, कृष्णा नगर, वैशाली नगर थाना के पीछे, जयपुर व अन्य के विरूद्ध वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने एवं अर्जित करने में सहयोग करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं। अतः आरोपीगणों का उक्त कृत्य से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(मूलचन्द मीणा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मूलचन्द मीणा पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 धारा 120बी आईपीसी एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त श्री संजय शर्मा पुत्र श्री हेतराम जाति ब्राहम्ण निवासी मकान न 01, कृष्णा नगर, वैशाली नगर थाना के पीछे, जयपुर हाल अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विद्याधर नगर जयपुर व श्रीमती नीलम शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा निवासी मकान न 01, कृष्णा नगर, वैशाली नगर थाना के पीछे, जयपुर व अन्य के विरूद्व अपराध संख्या 11/2025 दिनांक 22.01.2025 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री भाग चन्द्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

(ज्ञान सिंह)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक :– 55-60 दिनांक :– 22-01-2025

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात,क्रम संख्या–1 जयपुर
2. श्रीमान शासन सचिव, परिवहन विभाग, राज0 जयपुर
3. श्रीमान आयुक्त, परिवहन विभाग, राज0 जयपुर
4. श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर–प्रथम/अजमेर
5. श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
6. श्री भाग चन्द्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर।

(ज्ञान सिंह)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर